धनबाद समाहरणालय (सामाजिक सुरक्षा कोषांग)

(निविदा की शर्तें)

1. निविदा दिनांक 30.09.2013 के 3.00 बजे अपराह्न तक धनबाद समाहरणालय, सामाजिक सुरक्षा शाखा में उपलब्ध निविदा पेटी में डाला जायेगा एवं दिनांक 30.09.2013 को 4.00 बजे अपराह्न में निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष अधोहस्ताक्षरी अथवा किसी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं क्रय समिति के सदस्यों द्वारा निविदा खोलकर इस पर निर्णय लिया जायेगा।
2. निविदादाताओं को निविदा को मुहरबंद लिफाफे में सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, धनबाद के पदनाम से 10,000/– (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना होगा।
3. निविदादाता को तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के रूप में दो मुहरबंद लिफाफा में अलग–अलग भरकर एक साथ देना होगा, तकनीकी निविदा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
4. निविदादाता को फर्म का वाणिज्यकर निबंधन प्रमाण पत्र एवं वाणिज्यकर स्वच्छता प्रमाण पत्र,अद्यतन आयकर रिर्टन, पैन नं0 एवं कंबल के अधिकृत विक्रेता के प्रमाण पत्र की छाया प्रति तथा चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करनी होगी। निविदा में कम्बल का वजन न्यूनतम 2.20 किलोग्राम होना अनिवार्य होगा, कम्बल का साईज 88" X 57" होगा।
5. यदि निविददाता अपना निविदा फार्म प्रस्तुत करने के बाद मुकर जाता है या हटता है, अपना प्रस्ताव में और/या उसकी शर्तो का नियमों में कोई संशोधन करता है तो अग्रधन राशि 10,000/– (दस हजार) रूपये बिना किसी अन्य आदेश के स्वंय ही जप्त हो जायेगी अथवा जप्त मानी जायेगी। ऐसी जप्ती की सूचना निविदादाता को पृथक से देना आवश्यक नहीं होगा।
6. निविदा प्रस्तुति/स्वीकृति के उपरान्त जाली/असत्य दस्तावेज पाये जाने पर निविदादाता से किया गया अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा निविदा/अनुबंध के साथ जमा अग्रधन/जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. निविदादाता द्वारा निविदा खोलने के समय दो नमूना प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जिसको क्रय समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा जायेगा।
8. कम्बलों की आपूर्ति धनबाद जिले के सभी प्रखण्डों में आपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए कोई अन्य शुल्क/परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
9. कम्बलों की आपूर्ति हेतु अग्रिम राशि देय नहीं होगी।
10. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को प्रखण्ड मुख्यालय में आपूर्ति आदेश मिलने के एक सप्ताह के अन्दर कम्बलों की आपूर्ति नहीं किया जाने के स्थिति में उनके प्रतिभूत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सूरक्षित रहेगा।

उपायुक्त,
धनबाद।

ज्ञापांक 488/सा0सु0, दिनांक 24-8-13

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि अल्पकालीन निविदा की शर्तों को जिला बेबसाईट www.dhanbad.nic.in पर Upload करें।

प्रतिलिपि :– निदेशक सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

उपायुक्त,
धनबाद।